

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1240/2013

संस्थित दिनांक 24.12.2013

फाई. क्र.234503003102013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा

जिला बालाघाट (म.प्र.)

-- -- **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. मो० रफीक उर्फ जुम्मन, उम्र 29 वर्ष,

साकिन बहेराभाटा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. रविशंकर पिता चालेश्वर सोनी, उम्र 38 वर्ष,

साकिन बहेराभाटा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (फौत)

--- **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 13/03/2018 को घोषित)**

1- आरोपी मो० रफीक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 130(3)/177 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 15.12.2013 को दिन के 03:45 बजे स्थान ग्राम बहेराभाटा मेन रोड कमलेश की दुकान के पास चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकिल पेशन सी.जी.07एल.पी.7960 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत टेकसिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाकर उक्त वाहन के दस्तावेज मौके पर पुलिस अधिकारी के द्वारा मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी टेकसिंह पुलिस चौकी सालेटेकरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को वह स्वयं की मोटर सायकिल को लेकर बहेराभाटा ट्यूब बदलवाकर करीब 3:45 बजे

घर वापस आ रहा था, तभी सामने से हरे रंग की मोटर सायकल पेशन प्रो क्र. सी.जी.07एल.पी.7960 का चालक अपनी मोटर सायकिल को तेजी और लापरवाहीपूर्वक उतावलेपन से चलाते आया और उसकी मोटर सायकिल को ठोस मार दिया, जिससे वह मोटर सायकिल सहित गिर गया तथा ठोस मारने वाला भी गिर गया। उसे गिरने से बदन, दोनों हाथ, माथे एवं दाहिने पैर में चोट आयी। पेशन प्रो का चालक मोटर सायकिल लेकर कचनारी तरफ भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन एवं घटनास्थल का नजरी-नक्शा की कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा वाहन के कागजात एवं ड्रायविंग लायसेंस पेश नहीं करने पर धारा-3/181, 5/180, 66/112, 130(3)/177 मो.व्ही.एक्ट का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान क्रमांक 157/13 दिनांक 17.12.13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश है।

3- आरोपी मो0 रफीक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 130(3)/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत टेकसिंह ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी मो0 रफीक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा- 3/181, 130(3)/177 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी मो0 रफीक ने दिनांक 15.12.2013 को दिन के 03:45 बजे स्थान ग्राम बहेराभाटा मेनरोड कमलेश की दुकान के पास चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकिल पेशन सी.जी.07एल.पी.7960 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी मो० रफीक ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाया ?

3. क्या आरोपी मो० रफीक ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के दस्तावेज मौके पर पुलिस अधिकारी के द्वारा मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया ?

सकारण व निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01

05— साक्षी टेकसिंह अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी रफीक उर्फ जुम्न को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पूर्व की ग्राम बहेराभाटा की दिन के 04:00 बजे की है। वह अपनी मोटर साईकिल से कचनारी से अपनी साईड से वापस आ रहा था, तभी सामने से मोटर साईकिल चालक ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे उसे दाहिने पैर में और सीने में चोट आई थी। उक्त मोटर साईकिल आरोपी चला रहा था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में प्रपी-01 लेख कराई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का मुलाहिजा कराया था। पुलिस ने मौके पर आकर उससे पूछताछ कर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी-02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दुर्घटना आरोपी रफीक की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी टेकसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना कमलेश के दुकान के पास की है, दुर्घटना होते हुए बहुत से लोगों ने देखे थे। उसने अपने पुलिस बयान प्रडी-01 में पुलिस को यह बता दिया था कि घटना आरोपी की गलती से हुई थी। यदि उसके पुलिस बयान में आरोपी की गलती से दुर्घटना होने वाली बात न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय बहुत सी गाड़ियां रास्ते से आ-जा रही थी और बहुत भीड़-भाड़ थी तथा दुर्घटना अचानक हो गई थी।

07— साक्षी रूकदेवसिंह अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पूर्व ग्राम बहेराभाटा में दिन के 03:00 बजे की है। वह गांव के दरोगासिंह के साथ अपने काम से आया था और वापस आ रहा था, उसी समय जैसे ही बहेराभाटा में रोड पर पहुंचा, तो टेकचंद अपनी मोटर सायकिल लेकर खड़ा था और उसे चोट लगी थी। उसने टेकचंद से पूछा तो उसने बताया कि आरोपी जुम्नसिंह दारू पिया हुआ था और अपनी मोटर सायकिल को तेज रफ्तार से चलाकर टक्कर मार दिया था। पुलिस ने उसके सामने रविशंकर से एक मोटर सायकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था, जो प्रपी-03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस वालों ने आरोपी जुम्नसिंह को उसके समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे।

08— साक्षी रूकदेवसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय मौके पर नहीं था, मौके पर आरोपी रफीक भी नहीं था। जैसे ही दुर्घटना हुई थी वैसे ही मौके पर पहुँच गया था। पुलिस ने उसका बयान लिये थे। उसने अपने पुलिस बयान प्रडी-02 में यह बात बता दिया था कि टेकसिंह ने उसे बताया था कि आरोपी जुम्नसिंह दारू पिया हुआ था और अपने मोटर सायकिल को तेज रफ्तार से चलाकर टक्कर मार दिया था। यदि उक्त बात प्रडी-02 में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि टेकसिंह ने उक्त बात नहीं बताया था आज वह अपने मन से बता रहा है।

09— डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.12.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को चौकी सालेटेकरी के आरक्षक सुग्रीव क्रमांक 814 द्वारा टेकसिंह को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया। परीक्षण पर आहत को निम्न चोटें होना पाया था।

10— डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.03 के अनुसार चोट क्रमांक— 01 माथे के मध्य भाग पर एक खरोंच, जो कि आधा इंच गुणा आधा इंच, चोट क्रमांक—02 नाक के उपर एक खरोंच, जो कि पौन इंच गुणा आधा इंच, चोट क्रमांक—03 बाई कलाई पर एक खरोंच, जो कि आधा गुणा आधा इंच का था, चोट क्रमांक—04 बाई कोहनी पर एक खरोंच, जो कि पौन इंच गुणा पौन इंच तथा चोट क्रमांक—05 दाहिने पैर पर एक सूजन, जो कि तीन इंच गुणा छः इंच होना पाया था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 01 से 04 किसी कड़ी एवं खुरदुरी वस्तु से रगड़ने से आना प्रतीत होती थी जबकि चोट क्रमांक 05 किसी कड़े एवं बोथरी वस्तु के प्रहार अथवा तेजी से टकराने के फलस्वरूप आना प्रतीत होती थी। उक्त सभी चोटें साधार प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण से 18 से 24 घंटे पूर्व की थी। उक्त चोटों को ठीक होने में आठ से दस दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— साक्षी बंशीलाल जाटव अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.12.2013 को थाना चौकी सालेटेकरी जिला बालाघाट में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी टेकसिंह ने चौकी पर आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मोटर सायकिल लेकर बहेराभाटा ट्युब बदलवाने गया था, करीब 3:45 बजे शाम को अपनी मोटर सायकिल से आ रहा था, तभी सामने से हरे रंग की मोटर सायकिल पेशन प्रो० नंबर सी.जी.07एल.पी. 7960 के चालक ने अपनी मोटर सायकिल को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया और उसे ठोस मार दिया, जिससे वह मोटर सायकिल सहित गिर गया था, जिससे चोटें आयी की रिपोर्ट लिखाई। उसके द्वारा प्रपी.01 की रिपोर्ट धारा-279, 337 भा.द.सं. एवं 184 मो०व्ही० एक्ट उक्त मोटर सायकिल चालक के विरुद्ध लेख की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त रिपोर्ट को थाना बिरसा में असल कायमी हेतु भेजा गया था। थाना बिरसा में अपराध क्र.166/13 दिनांक 16.12.2013 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

12— साक्षी बंशीलाल जाटव अ.सा.04 के अनुसार उसे उक्त अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने फरियादी टेकसिंह को मुलाहिजा हेतु भेजा था। विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादी के बताये अनुसार प्रपी0-2 का मौका-नक्शा तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन क्र. सी.जी.07एल.पी.7960 को समक्ष गवाहान के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर रविशंकर सोनी के हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी मो0 रफीक को समक्ष गवाह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.04 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी मो0 रफीक के हस्ताक्षर हैं।

13— साक्षी बंशीलाल जाटव अ.सा.04 के अनुसार आरोपी जमानत-मुचलके पर छोड़ा गया था। उसके द्वारा रविशंकर को धारा-184 मो0व्ही0 एक्ट का नोटिस दिया गया था, जो प्रपी0-6 है जिसके ए स ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर रविशंकर के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने मोटर सायकिल क्र.सी.जी.07एल.पी.7960 का मैकेनिकल परीक्षण कराया था। उसने टेकसिंह, दरोगालाल, नरेश, रूकदेवसिंह, सनुकलाल, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त केस डायरी चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी को सौंप दी थी।

14— साक्षी बंशीलाल जाटव अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि साक्षी टेकसिंह ने अपने बयान प्रडी0-1 में यह नहीं बताया था कि दुर्घटना आरोपी रफीक की गलती से हुई थी, गवाह रूकदेवसिंह ने उसे अपने पुलिस कथन प्र.डी.02 देते समय यह बात नहीं बताई थी कि उसने टेकचंद से पूछा तो टेकचंद ने बताया कि आरोपी जुम्मनसिंह दारु पिया हुआ था और अपनी मोटर सायकिल को तेज रफ्तार से चलाकर टक्कर मार दिया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गवाह टेकसिंह, दरोगालाल, नरेश, रूकदेवसिंह, सनुकलाल के बयान उनके

बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं कर उसने अपने मन से लेख किया था, प्र.पी.01 की रिपोर्ट उसने टेकसिंह के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया था, प्र.पी.02 का पंचनामा टेकसिंह के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से थाने में ही लेख किया था तथा प्र.पी.03 के अनुसार उसने कोई वाहन जप्त नहीं किया था।

15— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। परिवादी टेकसिंह अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुर्घटना अचानक हो गई थी। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर को उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से दोनों विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

16— पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी मो0 रफीक वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना अनुज्ञप्ति एवं दस्तावेज के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के

विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

17— अतः अभियुक्त मो० रफीक को भा.दं०सं० की धारा-279 एवं मो. व्ही. एक्ट की धारा-3/181 तथा धारा-130(3)/177 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

18— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल पेशन सी.जी.०७एल.पी. 7960 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

20— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)